सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 05 मई 2026 को आहूत उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यू.एल.एम.एम.सी.) की कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 05 मई 2026 को प्रातः 10:00 बजे कार्यालय, सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन में आहूत की गयी।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/सदस्यों की सूची निम्नलिखित है –

1.	श्री नवनीत पाण्डे	अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
2.	डॉ आनन्द श्रीवास्तव	अपर सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	श्रीमती गरिमा रौंकली	अपर सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	श्री महावीर सिंह चौहान	अपर सचिव, आपदा प्रबंधन/अपर महानिदेशक, यूएलएमएमसी	सदस्य सचिव
5.	श्री अभिषेक कुमार आनन्द	वित्त नियन्त्रक, यूएलएमएमसी	सदस्य
6.	डॉ. शान्तनु सरकार	निदेशक, यूएलएमएमसी	–
7.	श्री बलवन्त सिंह पांगती	अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल, देहरादून	–
8.	श्री राजकुमार	अधीक्षण अभियन्ता, पिटकुल, देहरादून	–
9.	श्री एच.सी. सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून	–

सर्वप्रथम सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् यूएलएमएमसी के बाइलॉज के अनुसार कार्यकारिणी समिति की चतुर्थ बैठक हेतु समिति के समक्ष विचार–विमर्श एवं अनुमोदनार्थ बिंदुवार एजेण्डा प्रस्तुत किए गए।

एजेण्डा 1 – यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा वर्तमान में पूर्ण किये गये एवं गतिमान परियोजनाओं से संबंधित निम्न भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. विगत माहों में तैयार की गयी है :–

1.1 पूर्ण किये गये कार्य

- ग्लोगी पॉवर हाउस एप्रोच रोड, देहरादून–मसूरी रोड़, जनपद देहरादून।
- बहुगुणानगर, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली।
- खोतिला एवं घटधार, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।

निदेशक, यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा तैयार की गई डी.पी.आर. के सापेक्ष नियोजन विभाग ने शुल्क भुगतान को अस्वीकार कर दिया गया है। इस पर समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत निर्णय लिया गया कि नियोजन विभाग द्वारा की

गई कटौती पर पुनः विचार किया जाए और लंबित देयकों हेतु संबंधित संस्थाओं से पुनः पत्राचार किया जाए। समिति द्वारा विशेष रूप से संज्ञान लिया गया कि यू.एल.एम.एम.सी. अन्य बाह्य संस्थाओं की तुलना में कम दरों पर उच्च स्तरीय तकनीकी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। अतः यू.एल.एम.एम. सी. की वित्तीय स्वायत्तता और सुदृढ़ता के लिए परियोजनाओं की पूर्ण लागत का भुगतान सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अतः उक्त के क्रम में समिति द्वारा समस्त प्रस्तावों को आगामी शासी निकाय की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी।

1.2 वर्तमान में निम्न 22 भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. तैयार किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

निदेशक, यूएलएमएमसी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित विभागों द्वारा यूएलएमएमसी हेतु निर्धारित दरों (आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 के आदेश संख्या 1103/XVIII-B-1/2024–15(25)2021 दिनांक 25 अक्टूबर 2024) पर डी.पी.आर. गठन एवं अन्य कार्य हेतु सहमति प्रदान की गयी है तथा भुगतान सक्षम स्तर से डी.पी.आर. स्वीकृत होने के उपरान्त ही देय होगा। वर्तमान में निम्नवर्णित डी.पी.आर. बनाये जाने का कार्य गतिमान है –

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम
1	सिंचाई खण्ड कपकोट, बागेश्वर	जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड कपकोट में बदियाकोट के भूल गधेरे में बाढ़/कटाव सुरक्षा कार्य।
2		जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड़ कपकोट में सोराग के सैलकुड़ी तोक (शिल्पकार बस्ती) की बाढ/कटाव से सुरक्षा कार्य।
3		ग्राम पांगड़ क्षेत्रान्तर्गत भू–धंसाव/भूस्खलन से सुरक्षा कार्य।
4	सिंचाई खण्ड रुद्रप्रयाग	जवाड़ी बाईपास पर डी0एफ0ओ0 कार्यालय के समीप निर्मित नेचर पार्क, पार्किंग व कॉफी शॉप के निकट भूस्खलन उपचारात्मक कार्य।
5		जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में सिन्द्रवाणी तल्ली गांव के समीप हो रहे भूस्खलन का उपचारात्मक कार्य।
6		जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में गैर गांव के समीप हो रहे भूस्खलन का उपचारात्मक कार्य।
7		जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में बजीरा गांव की भूस्खलन के उपचारात्मक कार्य।
8	सिंचाई खण्ड केदारनाथ (अगस्त्यमुनि)	जिला रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम सभा मचकण्डी की भूस्खलन/भू–धंसाव से सुरक्षा योजना।
9		जिला रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत ग्राम सभा भटवाड़ी के घिंघराण तोक में भू–धंसाव एवं कटाव सुरक्षा योजना।
10		जिला रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि ग्राम सभा भटवाड़ी के बड़ेथ तोक में भूस्खलन/भू–धंसाव से सुरक्षा योजना।
11		जनपद रूद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत ओमकारेश्वर मन्दिर एवं आवासीय बस्ती की भूस्खलन/भू–धंसाव से सुरक्षा योजना।

क्रं. सं.	खण्ड का नाम	कार्य का नाम
12		जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के ग्राम किणझाणी में भूस्खलन/भू–धंसाव से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि एवं आवासीय बस्ती की सुरक्षा हेतु योजना।
13		जनपद रूद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखण्ड के अन्तर्गत तल्ला उषाड़ा में आवासीय बस्ती के नीचे हो रहे भूस्खलन/भू–धंसाव एवं आकाशकामिनी नदी से कटाव से सुरक्षा योजना।
14		जनपद रूद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखण्ड में भैंसारी तथा सेमी में भू–धंसाव सुरक्षा की योजना।
15		जनपद रूद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखण्ड में खुमेड़ा में भू–धंसाव सुरक्षा की योजना।
16	सिंचाई खण्ड नैनीताल	जनपद नैनीताल के अन्तर्गत निम्नवत् डी.पी.आर. गठन करने के सम्बन्ध में:– 1. आलूखेत क्षेत्र 2. ढुंगसिल क्षेत्र 3. खूपी क्षेत्र 4. भूमियाधार क्षेत्र
17		जनपद नैनीताल में स्थित प्रेमा जगाती सरस्वती विहार स्कूल के नीचे हो रहे भू–धसाव को रोकने हेतु डी.पी.आर. गठन के सम्बन्ध में।
18	सिंचाई खण्ड धारचूला, पिथौरागढ़	Slope Protection work at right Bank of Kali River at Army Battalion Campus, Galati. in Dharchula, Pithoragarh.
19		Slope protection & treatment measure works at 11th Battalion SSB Camp, Elagaad Chowki in Dharchula, Pithoragarh.
20		Treatment measures of land settlement & toe erosion work at Villages Tantagaon Rongto, Tijya, Sirkha & Roong & Pangu in Dharchula, Pithoragarh.
21		Slope protection at left bank of Gori River at Madkot village below Rawat House, block Munsiyari, Pithoragarh.
22	सिंचाई खण्ड चमोली	जनपद चमोली में ग्राम पंचायत मंजोटी एवं जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में ग्राम पंचायत मैठाणा के अंतर्गत विजयनगर (पुरसाड़ी) ग्राम की भूस्खलन/भूधंसाव एवं अलकनन्दा नदी से हो रहे कटाव से सुरक्षा योजना की डी.पी.आर. तैयार करने के संबंध में।

1.3 यूएलएमएमसी द्वारा प्रदान की गयी एवं दी जा रही पीएमसी सेवाओं के शुल्क सम्बन्धित –

यूएलएमएमसी को कार्यदायी संस्था द्वारा देय परामर्श शुल्क				
क्र.सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत (जी.एस.टी. सहित) (₹ लाख)	पर्यवेक्षण शुल्क कुल परियोजना लागत का 1%	अभियुक्ति
1	बलियानाला नैनीताल के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का स्थिरीकरण।	24949.78	249.49	कार्य पूर्ण
2	ग्वालगांव भूस्खलन (एल–धारा), धारचूला, पिथौरागढ़ हेतु धारणीय उपचार प्रस्ताव	7063.11	70.63	कार्य पूर्ण
3	ग्राम खौतिला के बचाव हेतु काली नदी के दांये पार्श्व पर बाढ़ सुरक्षा दीवार धारचूला क्षेत्र पिथौरागढ़	2811.01	28.11	कार्य पूर्ण
4	हल्दापानी भूस्खलन क्षेत्र (चमोली) के समीप लॉ कॉलेज परिसर हेतु धारणीय उपचार प्रस्ताव	6733.12	67.33	कार्य पूर्ण
5	ग्लोगी भूस्खलन क्षेत्र मसूरी रोड़, देहरादून के कि.मी. 25 पर धारणीय उपचार कार्य	2535.65	25.35	कार्य पूर्ण

उक्त के क्रम में निदेशक, यूएलएमएमसी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि यूएलएमएमसी द्वारा उपरोक्त परियोजनाओं में सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग को परियोजना प्रबंधन परामर्श (पी.एम.सी.) की सेवाएँ प्रदान की गई हैं, तथापि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त सेवाओं के सापेक्ष भुगतान करने में इस आधार पर असमर्थता इस आशय से व्यक्त की गई है कि परामर्श शुल्क का प्रावधान परियोजनाओं के मूल आगणन में सम्मिलित नहीं किया गया था।

इस संदर्भ में समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त व्यय की पूर्ति हेतु शासन को समुचित प्रेषित किये जाने की कार्यवाही की जाए।

एजेण्डा 2 – विभिन्न संस्थानों/विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU)

2.1 सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) (MORTH) Dehradun द्वारा उत्तराखण्ड राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले भूस्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण कार्यों (Detailed Project Report and Mitigation Design) को बनाये जाने हेतु यू.एल.एम.एम.सी. से अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त एजेन्डा बिन्दु पर बैठक के दौरान विचार–विमर्श कर निर्देशित किया गया कि प्रचलित दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में यदि कोई दर अधिक पाई जाती है, तो उसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ अनुबंध की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि यूएलएमएमसी द्वारा निर्धारित दरों (आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 के आदेश संख्या 1103/XVIII-B-1/2024–15(25)2021 दिनांक 25 अक्टूबर 2024) को वित्त एवं नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

शासन के स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उपरोक्त के क्रम में निम्न प्रकार अवगत कराना है –

यूएलएमएमसी हेतु निर्धारित दरें –

S.No.	Projects	ULMMC Charges
1	Project Management Consultancy (PMC) • Supervision Consultancy • Design and Supervision Consultancy • Comprehensive Supervision Consultancy	Based on Scope of Work • 1.0% of total project cost • 1.5% of Total project cost • 2.0% of total project cost
2	Evaluation of DPR	0.25% of total project cost
3	Topographic Survey	Rs. 30000 @ per hectare
4	Geophysical Survey	Rs. 400 per meter + charges for labour,
5	DPR Preparation	• Upto Rs.5.00 Cr. - 1.0% of total project cost • Rs. 5.00 - 50.00 Cr. - 0.75% of total project cost • Above Rs. 50.00 Cr. - 0.50% of total project cost **Special Investigation charges extra.**

नोट – उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यों की वैटिंग की लागत सम्मिलित नहीं है।

उत्तराखण्ड राज्य हेतु MoRTH एवं THDC के मध्य सम्पादित MoU दिनांक 27 फरवरी 2025 के अन्तर्गत निर्धारित दरें निम्नवत् हैं –

(i) Rates of various Investigations shall be as under:

S.No.	Work Description	Rates (in Rs)
a	Topographical survey-Total Station/Drone	19,000/Ha
b	Geological Survey & Structural mapping and Kinematic analysis.	1,00,000/Ha
c	Geotechnical (if Investigations including laboratory testing required)	As per actual
d	Geophysical Investigations (ERT/SRT/MASW)	As per actual

(ii) Consultancy Fee for DPR Preparation shall be as under:

S. No.	Area of Landslide (in Ha)	Consultancy Fee (Rs. Lakh)
a	Upto 0.375 ha	8.50 per site
b	More than 0.375 & less than 0.75 ha	12.75 per site
c	More than 0.75 & less than 1.50 ha	17.00 per site
d	More than 1.5 & less than 0.75 ha	25.50 per site
e	More than 3.75 & less than 7.50 ha	25.50 per site
f	More than 7.50 ha	4.70 per ha

नोट – उपरोक्त तालिका में वर्णित कार्यों की वैटिंग की लागत सम्मिलित हैं।

2.2 **Uttarakhand Forest Resource Management Society (JICA) एवं Engineering Project (India) Ltd. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। इनके द्वारा अनुरोध किया गया कि ये संस्थाऐं डी.पी.आर. तैयार करने में अपनी तकनीकी सुविधाएं साझा करने के इच्छुक है।**

उपरोक्त एजेन्डा बिन्दू पर बैठक के दौरान विचार–विमर्श कर समिति द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये –

परियोजनाओं की लागत के आधार पर दीर्घ, मध्यम और लघु श्रेणियों में वर्गीकृत कर अन्य संस्थाओं जैसे Uttarakhand Forest Resource Management Society (JICA) एवं Engineering Project (India) Ltd. आदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को यूएलएमएमसी द्वारा कार्यों को sublet करने हेतु देय लागत क्रमशः 70, 65 और 60 प्रतिशत परामर्श शुल्क प्रस्तावित किया जाए। उपरोक्त के क्रम में निम्न प्रकार अवगत कराना है –

S.No.	Project Cost (Rs. in Cr.)	Sharing Percentage	
		UFRMS	ULMMC
1.	Less than 5.00	70%	30%
2.	More than 5.00 and less than 15.00	65%	35%
3.	More than 15.00	60%	40%

नोट– नियमानुसार आयकर कटौती एवं जीएसटी तथा अन्य आवश्यक करों आदि का भुगतान करने के उपरान्त उपरोक्तानुसार धनराशि का बंटवारा किया जायेगा।

एजेण्डा – 3 केन्द्रीय एवं राज्य संस्थानों/एजेन्सियों के साथ भूस्खलन से संबंधित क्षेत्रों के न्यूनीकरण कार्य किये जाने हेतु विभिन्न परीक्षण एवं लैब परीक्षण कराये जाने हेतु अनुबंध किया जाना।

वर्तमान में यूएलएमएमसी के पास भू–तकनीकी, ड्रिलिंग, LiDAR आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अतः भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. Vetting को सुगम एवं त्वरित तैयार किये जाने हेतु निम्नलिखित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य संस्थानों के साथ अनुबंध किया जाना प्रस्तावित है –

1. CBRI, Roorkee 2. IIT Roorkee 3. NIT Srinagar Garhwal 4. NIT Kurukshetra	5. CRRI, Delhi 6. NIT Ropar, Punjab 7. IIT Mandi, H.P. 8. IIT BHU, U.P.

समिति द्वारा विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि डी.पी.आर. शुल्क के अतिरिक्त परीक्षण (टेस्टिंग), ड्रिलिंग, अन्वेषण (इन्वेस्टिगेशन), भू–तकनीकी अध्ययन (जियो–टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन), अन्य बाह्य तकनीकी जाँचों तथा आकस्मिक व्यय की मदों को भी दर–निर्धारण हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि वर्तमान में निर्धारित दरों में इन मदों का समावेश नहीं है।

डी.पी.आर वैटिंग व्यवस्था के संबंध में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि संस्था द्वारा स्वयं तैयार की गई डी.पी.आर. की वैटिंग हेतु उक्त सरकारी तकनीकी संस्थानों को अधिकतम 03 वर्ष हेतु सूचीबद्ध किया जाए। इस क्रम में लिडार सर्वे, डी.पी.आर. निर्माण एवं वैटिंग कार्यों

को पृथक–पृथक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु दरें आमंत्रित करने की आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

एजेण्डा – 4 NLRMP के अन्तर्गत डी.पी.आर. शुल्क से संबंधित।

National Landslide Risk Management Program (NLRMP) के अन्तर्गत यूएलएमएमसी द्वारा निम्न 05 भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. तैयार कर यूएसडीएमए को प्रेषित कर दी गयी है:–

- ग्लोगी पॉवर हाउस एप्रोच रोड़, देहरादून–मसूरी रोड़, जनपद देहरादून।
- बहुगुणानगर, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली।
- खोतिला एवं घटधार, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।
- चार्टन लॉज, जनपद नैनीताल।
- मंसा देवी हरिद्वार बाईपास रोड़ भूस्खलन क्षेत्र, हरिद्वार।

उपरोक्त 05 स्थानों में से 02 स्थानों चार्टन लॉज, नैनीताल एवं मंसा देवी हरिद्वार बाईपास रोड़, हरिद्वार भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. तैयार किये जाने के लिये धनराशि आपदा प्रबंधन विभाग एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा यूएलएमएमसी को निर्गत कर दी गयी है।

उपरोक्त के क्रम में यह भी संज्ञान में लाना है कि 03 भूस्खलन क्षेत्रों 1. ग्लोगी पॉवर हाउस एप्रोच रोड़, देहरादून–मसूरी रोड, जनपद देहरादून, 2. बहुगुणानगर, कर्णप्रयाग, जनपद चमोली, 3. खोतिला एवं घटधार, धारचूला, जनपद पिथौरागढ़) की डी.पी.आर. यूएलएमएमसी द्वारा तैयार कर यूएसडीएमए, देहरादून एवं सिंचाई विभाग, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

उक्त 03 भूस्खलन क्षेत्रों की डी.पी.आर. तैयार किये जाने का शुल्क लंबित है। इस क्रम में प्रस्ताव यह है कि NLRMP परियोजना यूएसडीएमए, देहरादून द्वारा संचालित होती है। अतः उपरोक्त डी.पी.आर. का बीजक यूएसडीएमए, देहरादून को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है।

NRLMP के अंतर्गत ULMMC द्वारा तैयार डी.पी.आर. हेतु USDMA से परामर्श शुल्क मांग

क्र.सं.	परियोजना का नाम	डी.पी.आर तैयार करने का शुल्क	पीएमसी शुल्क	विशिष्ट जांच शुल्क	कुल मांग	कुल डी. पी.आर. लागत
1	ग्राम खोतिला एवं घटधार में भू–धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम	23.28	31.04	0.21	54.53	3841.00
2	जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर की भू–धंसाव एवं भूस्खलन की रोकथाम	31.84	42.45	.	74.29	5253.78
3	ग्लोगी पावर हाउस एप्रोच रोड (राज्य राजमार्ग–01, किमी 25.00) पर उपचारात्मक कार्य।	3.25	4.33	3.78	11.36	544.79
				कुल शुल्क मांग (₹ लाख में)	140.18	

समिति के समक्ष यू.एस.डी.एम.ए. से ₹140.18 लाख (₹ एक करोड़ चालीस लाख अठारह हजार मात्र) की धनराशि की मांग किए जाने संबंधी विषयक प्रस्तुत किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि नियोजन विभाग द्वारा डी.पी.आर. में सम्मिलित धनराशि में कटौती की गई है। उक्त विषय से संबंधित समस्त प्रस्तावों को आगामी शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के जो भी प्रकरण हो उनका पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाए।

एजेण्डा 5 – यू0एल0एम0एम0सी0 के कार्मिकों को देय टी.ए./डी.ए. से संबंधित।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि यूएलएमएमसी में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों को सर्वेक्षण हेतु फील्ड में जाने के दौरान टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्ते दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि यू0एल0एम0एम0सी0 में कार्यरत कार्मिकों हेतु टी.ए./डी.ए. एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या 355/16/यू.एल.एम.एम.सी./2024–25 दिनांक 08.11.2024 के अनुसार निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान गईः–

S.N.	Salary Division	Equivalent Level	D.A		Accommodation	
			In Uttarakhand	Outside Uttarakhand	In Uttarakhand	Outside Uttarakhand
1	Below 60,000	6-9	350	400	400	750
2	60,000 – 1,25,000	10-13	450	500	1000	2250
3	Above 1,25,000	13A and above	600	700	1500	4500

उपरोक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 के कार्यालय ज्ञाप सख्याः 18/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के नियम व शर्तों को यू0एल0एम0एम0सी0 के कार्मिकों पर लागू किये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी। शासी निकाय से अनुमोदन के उपरान्त इस हेतु विधिवत आदेश जारी किया जायेगा।

एजेण्डा 6 – विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु इस केन्द्र में रिसर्च इंटर्न एवं M.Tech/M.Sc. Thesis work के रूप में कार्य किये जाने के संबंध में।

विभिन्न शैक्षिक संस्थानों एवं रेखीय विभागों में तकनीकी क्षमता विकास के लिये यूएलएमएमसी बिना किसी शुल्क/मानदेय पर तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि भारत सरकार द्वारा इंटर्नशिप के संबंध में निर्गत दिशा–निर्देशों का विधिवत अध्ययन कर तद्नुसार कार्यवाही की जाए।

एजेण्डा 7 – यू.एल.एम.एम.सी. द्वारा संपादित किये गये विभिन्न अध्ययन कार्यों को Journal/Conference/Book में Publish किये जाने के संबंध में।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यह प्रकाशन व्यवस्था, पत्रिका अथवा सम्मेलन के माध्यम से यदि लाभ अर्जित होता है तो इसका 40 प्रतिशत भाग यू0एल0एम0एम0सी0 को तथा शेष धनराशि सम्बन्धित विशेषज्ञों को प्राप्त होगी। यू0एल0एम0एम0सी0 के अधिकारीगण सामान्य तौर पर अपने रिसर्च पेपर का यू0एल0एम0एम0सी0 से अनुमोदन कराते हुए तथा रिसर्च पेपर में यू0एल0एम0एम0सी0 के योगदान का विवरण अंकित करते हुए प्रकाशन करा सकेंगे।

एजेण्डा 8– केन्द्र में कार्यरत भू–वैज्ञानिक एवं जियोफिजिसिस्ट को वर्तमान में देय मानदेय में वृद्धि किये जाने हेतु पुनर्विचार किये जाने के संबंध में।

उक्त एजेण्डा बिन्दु पर चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि इस केन्द्र की स्थापना शासनादेश संख्या–204/XVIII-B-2/21-05(UDRP-AF)/2021 दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा की गयी एवं इसके संचालन हेतु **कार्यालय ज्ञाप संख्या**–205 /XVIII-B-2/21-05(UDRP-AF)/2021 दिनांक 14 मार्च, 2022 द्वारा 75 तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदों का सृजन किया गया तथा प्रथम चरण में कुल 75 पदों के सापेक्ष 25 पदों पर नियुक्ति किए जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। प्रथम चरण में प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इस केन्द्र के Geophysicist & Geologist एवं अन्य विभिन्न पदों की अर्हता एवं मानदेय में शासी निकाय की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त संख्या 63/ULMMC/2023 दिनांक 17.05.2023 द्वारा अनुमोदन के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:–

Modified post and Educational qualification for the Positions & Salary

S. No.	Position	Function	No. of Post	Educational Qualification and Experience (As per original G.O)	Educational Qualification and Experience (Changed)
1	Geologist	Expert on various geological issues	01	PG in Geology + minimum 05 years slope stabilization experience	**Essential Qualifications:** i) M.Sc/M.Sc Tech/M.Tech in Geology/Applied Geology/Geotechnology Desirable qualifications: ii) Work experience in the area of slope stability in hilly terrains. iii) PhD./Research/Projects/Professional experience will be counted in relevant field.
2	Geophysicist	Expert in Geo-Physical Investigation/studies	01	PG in Geophysics or Geo-Science with minimum 10 years of experience in geophysical investigation	**Essential Qualifications:** a) Masters in Geophysics Desirable Qualifications: b) Work experience in Geophysical Field Survey/Interpretations will be given preference

					c) PhD./Research/Projects/Professional experience will be counted in relevant field.

Levels based on Experience	Posts under the category	Experience in the relevant field	Proposed Salary Structure as per experience (Consolidated)	Modified Salary Structure
Entry Level	Post 1. Geologist Post 2 :GIS Expert Post 3: Hydrologist Post 4 : Geophysicist Post 5: Structural Engineer Post 6: Senior Geologist(Middle and Higher Levels) Post 7: Geotechnical Engineer	Freshers to 5 years	Rs. 35,000 (0-1 year Exp)	Upto Rs 55,000
			Rs. 40,000 (1-2 year Exp)	
			Rs. 45,000 (2-3 year Exp)	
			Rs. 50,000 (3-4 year Exp)	
			Rs. 55,000 (4-5 year Exp)	
Middle Level		5+ to 10 years	Rs. 60,000 (5-6 year Exp)	Upto Rs 1,00,000
			Rs. 70,000 (6-7 year Exp)	
			Rs. 80,000 (7-8 year Exp)	
			Rs. 90,000 (8-9 year Exp)	
			Rs 1,00,000 (9-10 year Exp)	
Higher Level		10+ to 15 years	Rs 1,10,000 (10-11 year Exp)	Upto Rs 1,50,000
			Rs 1,20,000 (11-12 year Exp)	
			Rs 1,30,000 (12-13 year Exp)	
			Rs 1,40,000 (13-14 year Exp)	
			Rs 1,50,000 (14 -15 year Exp)	

उक्त के क्रम में प्रथम चरण में 50 पदों पर नियुक्ति किए जाने के सापेक्ष द्वितीय चरण में 18 तकनीकी एवं गैर–तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई । चूंकि महानिदेशक महोदय, के निर्देशों के क्रम में तृतीय चरण एवं वर्तमान में समस्त विज्ञप्तियों की भर्ती शासनादेश संख्या–205/XVIII-B-2/21-05(UDRP-AF)/2021 दिनांक 14 मार्च, 2022 के अनुसार ही प्रकाशित की गई हैं (संलग्न–3)। उक्त शासनादेश के अनुसार Geologist & Geophysicist के पदों का मानदेय क्रमशः रूपये 80,000 एवं 1,20,000 है। उक्त दोनों पदों के कार्मिकों को 7 वर्षों का अनुभव होने के साथ ही केन्द्र में 2 वर्ष की सेवा अवधि को पूर्ण कर किया जा चुका है। इस अवधि के दौरान इनका कार्य संतोषजनक रहा है। यह भी अवगत कराना है कि अन्य समकक्ष विषय विशेषज्ञों के मानदेय की तुलना में उक्त कार्मिकों का मानदेय कम है।

अतः उक्त कार्मिकों द्वारा मानदेय वृद्धि हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर कार्मिकों को वर्तमान में मानदेय रूपये 55,000 से रूपये 80,000 प्रतिमाह प्रति विशेषज्ञ वृद्धि किए जाने हेतु समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई है। प्रस्ताव को विधिवत शासी निकाय की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

अन्त में सभी बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त की गयी।

(महावीर सिंह चौहान)
सदस्य सचिव/अपर महानिदेशक
यूएलएमएसी, देहरादून/
अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

अनुमोदित

(विनोद कुमार सुमन)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति,
यूएलएमएमसी,देहरादून /
सचिव, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (यूएलएमएमसी), देहरादून, उत्तराखण्ड।
6वां तल, यू.एस.डी.एम.ए. भवन, 36 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

संख्या– 138/108/E.C/ यू.एल.एम.एम.सी. / 2025–26 देहरादून, दिनांक 03 जून, 2026

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त / वन एवं पर्यावरण / ऊर्जा / सिंचाई / शहरी विकास / लोक निर्माण विभाग / राजस्व / आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड शासन।
2. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।
3. निदेशक, उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

(महावीर सिंह चौहान)
सदस्य सचिव / अपर महानिदेशक
यूएलएमएमसी, देहरादून।